

**पाक्सो एक्ट में वाछिंत 01 अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री शीतला प्रसाद के नेतृत्व में दिनांक 18.03.2026 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर धरहरा बार्डर पुल के पास से मु0अ0स0 79/2026 धारा 87, 137(2), 65(1) बीएनएस व ¾(2) पाक्सो एक्ट में वाछिंत अभियुक्त अंगत चौहान पुत्र राजकुमार चौहान निवासी सुतरही उर्फ चक भोपतपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. अंगद चौहान पुत्र राजकुमार चौहान निवासी सुतरही उर्फ चक भोपतपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ

**पंजीकृत अभियोग-**

1. मु0अ0स0 79/2026 धारा 87, 137(2), 65(1) बीएनएस व ¾(2) पाक्सो

**गिरफ्तारकर्ता –**

1. उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव
2. हे0का0 जितेन्द्र पाण्डेय
3. हे0का0 संदीप सोनकर

**06 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में विभिन्न थानो द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर थाना मधुबन पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण सुरेश वर्मा पुत्र स्व0 रामशरन बर्मा निवासी, 2. मनीष बर्मा पुत्र सुरेश बर्मा निवासी कस्बा मधुबन (आर्दशनगर) थाना मधुबन 3. रुगदी देवी पत्नी श्री किशुन निवासी मीरपुर मेढिया मु0 दरियाबाद थाना मधुबन जनपद मऊ व थाना कोपागंज द्वारा वारंटी अभियुक्तगण 1. मेल्हू चौहान पुत्र नन्हकू चौहान निवासी मुहम्मदपुर झझवां थाना कोपागंज, 2. नौशाद अहमद पुत्र खैरुल बसर निवासी जुम्नपुरा थाना कोपागंज, 3. परमानन्द पुत्र बल्ली निवासी पुरानाकोपा थाना कोपागंज जनपद मऊ।

**बलात्कार की घटना कारित करके वीडियो वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृष राजपूत के कुशल नेतृत्व में दिनांत 18.03.2026 को थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 93/2026 धारा 64(1)/333/75(2)/351(3) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सत्यप्रकाश पुत्र विरेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम खानपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को अभियुक्त के घर ग्राम खानपुर मंझरिया थाना सरायलखन्सी से गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा की तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 93/2026 धारा 64(1)/333/75(2)/351(3) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट बनाम सत्यप्रकाश पुत्र विरेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम खानपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ के पंजीकृत किया गया था। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही थी। आज दिनांक 18.03.2026 को अभियुक्त को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. सत्यप्रकाश पुत्र विरेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम खानपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र 32 वर्ष

#### अपराधिक इतिहास का विवरण-

1. मु0अ0सं0 93/2026 धारा 64(1)/333/75(2)/351(3) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट थाना सरायलखन्सी मऊ गिरफ्तारकर्ता टीम-

- 1- प्र0नि0 श्री संजय सिंह
- 2- नि0अ0 श्री घनश्याम यादव
- 3- का0 राहुल कुमार
- 4- का0 राकेश कुमार

**ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 03 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व ₹ 25000 के अर्थदंड से हुए दंडित-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी मा0 न्यायालय एसजे/एफटीसी कोर्ट मऊ द्वारा 18.03.2026 को मु0अ0सं0 299/2008 धारा 498a, 306, 34 भादवी का अभियोग थाना दोहरीघाट जनपद मऊ मे दोषसिद्ध अभियुक्त 1. जितेंद्र यादव पुत्र कांता यादव 2. कांता यादव पुत्र हरिदास यादव 3. मणींद्र यादव पुत्र कांता यादव समस्त निवासीगण शाहपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 07-07 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं ₹ 25000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया अर्थ दण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री राजेश पाण्डेय (एडीजीसी), प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी दुर्गेश चौहान का सराहनीय योगदान रहा।

**ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास की सजा व ₹ 17000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी मा0 न्यायालय एससी /एसटी कोर्ट मऊ द्वारा द्वारा 18.03.2026 को मु0अ0सं0 773/2015 धारा 394, 323, 34,343, 34, 504,506,376(D) भादवी व 3(1)5 sc st act का अभियोग थाना सरायलखनसी जनपद मऊ मे दोषसिद्ध अभियुक्त रामाशीष शर्मा पुत्र राम प्रसाद शर्मा निवासी ताजपुर मढिया उस्मानपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 20 वर्ष कारावास की सजा एवं ₹ 17000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया अर्थ दण्ड न अदा करने पर 15 दिवस का सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री अखिलेश कुमार सिंह (एडीजीसी), प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी सिद्धार्थ कुमार का सराहनीय योगदान रहा।